



बृहस्पतिवार, दिनांक 24 अगस्त, 2017

12.00 मध्याह्न

प्रश्नोत्तर

1. अल्पसूचित प्रश्न
2. तारांकित प्रश्न

औपचारिक कार्य

3. सचिव, विधेयक संबंधी संदेश, यदि कोई हो, पढ़ेंगे।
4. सचिव, विधान सभा से स्वीकृत विधेयक, यदि कोई हो, मेज पर रखेंगे।

परिनियत कार्य

5. प्रभारी मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद : 205 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 1981-82, 1986-87, 1989-90, 1993-94 एवं 1995-96 के अधिकाई व्यय विवरणी की एक प्रति सदन की मेज पर रखेंगे।

ध्यानाकर्षण

6. श्री सुबोध कुमार, राज्य में संचारित आंगनबाड़ी केन्द्रों की जांच के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
7. श्री दिलीप कुमार चौधरी, पटना शहर अन्तर्गत एन.एच.-30 पर वेडर मोड से जीरो माइल के बीच बाई पास में कट स्थानों पर सिग्नल की व्यवस्था के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
8. श्री सतीश कुमार, वित्त अंकेक्षण विभाग में योगदान दे रहे राजीव रंजन गुप्ता, वरीय अंकेक्षक, बिहार का योगदान स्वीकृत कर वेतन भुगतान के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
9. श्री हरि नारायण चौधरी, नगर परिषद्, समस्तीपुर टेचिंग ग्राउंड पर सम्राट अशोक भवन के निर्माण के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

10. श्री राजन कुमार सिंह, औरंगाबाद जिले के वारूण दाउदनगर पथ पर लखडिहरा के पटना कैनाल पर बने पुल के एप्रोच पथ के निर्माण के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
11. श्रीमती रीना देवी, अवर निबंधन पदाधिकारी, हिलसा, नालंदा द्वारा अनियमित निबंधन किए जाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
12. श्री रामचन्द्र भारती, राज्य के किसान सलाहकारों को कार्यक्षेत्र एवं कार्य पद्धति अनुरूप पूर्णकालिक कर्मी मानते हुए मानदेय राशि का भुगतान करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
13. डा. उपेन्द्र प्रसाद, गया जिले के इमामगंज प्रखंड के नौडिहा पंचायत एवं छकरबंधा पंचायत को जोड़ने वाली रोहवे ग्राम स्थित लब्जी नदी पर बने पुल के पुनर्निर्माण के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
14. श्री सूरज नंदन प्रसाद, पटना जिले के ब्रादशाही नाला की उडाही सहित अतिक्रमण मुक्त करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

राजकीय विधेयक

बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1986-87, 1989-90,

1993-94 एवं 1995-96) (संख्या-2) विधेयक, 2017

15. श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथापारित बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1986-87, 1989-90, 1993-94 एवं 1995-96) (संख्या-2) विधेयक, 2017 पर विचार हो।
16. श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथापारित बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1986-87, 1989-90, 1993-94 एवं 1995-96) (संख्या-2) विधेयक, 2017 पारित हो।

बिहार कराधान विधि (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017

17. श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथापारित बिहार कराधान विधि (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017 पर विचार हो।
18. श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथापारित बिहार कराधान विधि (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017 पारित हो।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक, 2017

19. श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथापारित बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक, 2017 पर विचार हो।
20. श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथापारित बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक, 2017 पारित हो।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017

21. श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथापारित बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार हो।
22. श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथापारित बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित हो।

बिहार राज्य जल और मल बोर्ड (निरसन) विधेयक, 2017

23. श्री सुरेश कुमार शर्मा, माननीय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथापारित बिहार राज्य जल और मल बोर्ड (निरसन) विधेयक, 2017 पर विचार हो।
24. श्री सुरेश कुमार शर्मा, माननीय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथापारित बिहार राज्य जल और मल बोर्ड (निरसन) विधेयक, 2017 पारित हो।

बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017

25. श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथापारित बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार हो।
26. श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथापारित बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित हो।
27. अन्य नितान्त आवश्यक कार्य, यदि कोई हो।

 23.8.17

(सुनील कुमार पंवार)


सचिव

बिहार विधान परिषद्

दिनांक-23.8.2017

ज्ञापांक-वि.प.वि.- 50/2017- 1316 (3) वि.प.

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय उप मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रीगण/माननीय मुख्यमंत्री के आवास/मुख्यमंत्री सचिवालय (चार प्रतियों में)/महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आवास एवं बिहार विधान सभा स्थित कार्यालय वेशम/ लोकायुक्त, बिहार/महाधिवक्ता, बिहार / बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष / सभी राज्यों के विधान मंडलों के सचिव/ लोकसभा तथा राज्यसभा सचिवालय, नई दिल्ली / पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

 23.8.17

(ध्रुव नारायण पाठक)

उप सचिव

बिहार विधान परिषद्